न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 –182/2020(2020/00287)

अनवान : –

पूनमचन्द पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. भागीरथ पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
2. केसरीसिंह पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
3. सतवीर पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
4. सरस्वती पुत्री भागीरथ जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
5. गोरादेवी पुत्री भागीरथ जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
6. बाला पुत्री भागीरथ जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
7. एसबीआई शाखा बस स्टेण्ड भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :– श्री विनोद पूनियां वादी
श्री उम्मेद मोठसरा प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 05/04/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 3 केआरपी सम्वत 2075–78 के वर्तमान खाता संख्या 107/92 के मुरब्बा न0 13 के किला न0 13 ता 15, 16/1, 17 ता 19, 21 ता 24, मु0 न0 18 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13, 18, 24/1, मु0 न0 19 के किला न0 4 ता 7, 14, 15 इस प्रकार कुल किता 28 की कुल 6.717 हैक्टेयर नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 भागीरथ के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा हेमराज की खातेदारी हुआ करती थी। हेमराज से विरास्तन वादभूमि जो प्रतिवादी भागीरथ ने कर्ता खानदान के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी भागीरथ ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:38:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी भागीरथ के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 भागीरथ को वादी के दादा हेमराज से विरासतन प्राप्त हुई है। खतौनी जमाबन्दी चक 3 केआरपी सम्वत 2029–38 खाता संख्या 127/116 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1, 4 ता 6 ने वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में अपना हक व हिस्सा की भूमि बराबर तर्क किया हुआ है।

साक्ष्य वादी में वादी पूनमचन्द पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 3 केआरपी सम्वत 2075–78 खाता संख्या 107/92 प्रदर्श 1, जमाबनदी खतौनी चक 3 केआरपी सम्वत 2055–58 खाता संख्या 127/116 प्रदर्श 2, जमाबन्दी चक 6 एमएसआर सम्वत 2072–75 खाता संख्या 92/150 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील वादी ने निवेदन किया कि पारिवारिक समझौता के अनुसार जमाबन्दी चक 6 एमएसआर सम्वत 2072–75 खाता संख्या 92/150 की कुल 6.325 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 भागीरथ के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 भागीरथ स्वयं अपने नाम से रखना चाहता है तथा चक 3 केआरपी की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को देना चाहता है।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। ह[illegible] वादी ने रोही मौजा चक 3 केआरपी सम्वत 2075–78 के [illegible] 92 के मुरब्बा न0 13 के [illegible] न0 18 के किला न0 1 ता किला न0 13 ता 15, 16/1, 17 ता 19, 21 ता 24, [illegible] 3, 8 ता 13, 18, 24/1, मु0 न0 19 के किला न0 [illegible] ता 7, 14, 15 इस प्रकार कुल किता 28 की कुल 6.717 हैक्टेयर नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 भागीरथ के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
[illegible] हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:38:30 IST
Reason: SelfAttested

भूमि होना साबित है इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 केआरपी सम्वत 2075–78 के वर्तमान खाता संख्या 107/92 के मुरब्बा न0 13 के किला न0 13 ता 15, 16/1, 17 ता 19, 21 ता 24, मु0 न0 18 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13, 18, 24/1, मु0 न0 19 के किला न0 4 ता 7, 14, 15 इस प्रकार कुल किता 28 की कुल 6.717 हैक्टेयर नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 भागीरथ के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 भागीरथ का नाम कलमजन किया जाकर **वादी पूनमचन्द व प्रतिवादी संख्या 2 केसरीसिंह, प्रतिवादी संख्या 3 सतवीर को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 1, 4 ता 6 द्वारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हक में त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05/04/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़ — seal)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:38:30 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़